Staff car

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-14032020-218666
CG-DL-W-14032020-218666

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 09] नई दिल्ली, मार्च 1—मार्च 7, 2020, शनिवार / फाल्गुन 11—फाल्गुन 17,1941

No. 09] NEW DELHI, MARCH 1—MARCH 7, 2020, SATURDAY/PHALGUNA 11—PHALGUNA 17, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय)

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2020

सा.का. नि. 45 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (स्टाफ कार चालक) भर्ती नियम-1973, जहाँ तक उनका संबंध स्टाफ कार चालक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय और इनकी दूरस्थ इकाईयों में स्टाफ कार चालक (ग्रेड I), स्टाफ कार

चालक (ग्रेड II), स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) 'समूह ग' अराजपत्रित पद पर भर्ती की पद्धति विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, स्टाफ कार चालक (ग्रेड I), स्टाफ कार चालक (ग्रेड II), स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) समूह'ग' अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगें।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसुची में स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनूसुची के स्तंभ (5) से (13) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता .—** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति .—** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति.—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए, आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. स्टाफ कार चालक ग्रेड-1	03* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर. 5 (29200-92300 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100% प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति - वेतन मैट्रिक्स (रु. 25500-81100 रु.) के स्तर 4 स्टाफ कार चालक ग्रेड II की श्रेणी में छः वर्ष नियमित सेवा की हो या कार चालक ग्रेड II और स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) में पंद्रह वर्ष संयुक्त सेवा की हो तथा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट परीक्षण उत्तीर्ण की हो।	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) विभागीय पुष्टि समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-** (1) कार्यालय प्रमुख, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - अध्यक्ष ; (2) प्रशासनिक अधिकारी, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य; (3) निजी सचिव- मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. स्टाफ कार चालक ग्रेड-II	02* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25500-81100 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति – वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19900-63200रु.) में स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) में 9 वर्ष नियमित सेवा की हो और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट चालक ग्रेड का व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण की हो।	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-** (1) कार्यालय प्रमुख, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - अध्यक्ष ; (2) प्रशासनिक अधिकारी, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य; (3) निजी सचिव- मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड)	02* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर.2(19900-63200 रु.)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पणी:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश चम्बा जिले के पांगी उपखंड,अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक - (i) मोटर कार के लिए एक विधि मान्य चालन अनुज्ञप्ति होना चाहिए ; (ii) मोटर तंत्र का ज्ञान (अभ्यर्थी वाहन में मामूली दोषों को हटाने में सक्षम होना चाहिए) (iii) कम से कम तीन वर्ष तक मोटर कार चलाने का अनुभव । (iv) 10वी. उर्तीण होना चाहिए । **वांछनीयः-** (i) होमगार्ड/सिविल स्वयं सेवकों के रूप में 3 साल की सेवा। **टिप्पण** : सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थीयों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थीयों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	1. प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा न मिलने पर सीधी भर्ती । 2. सशस्त्र बलों कार्मिकः प्रतिनियुक्ति/पुनः नियोजन के लिए ।

(11)	(12)	(13)
1. प्रतिनियुक्ति/आमलेन न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय सेवाएं और इनकी इकाइयों में वेतन मैट्रिक्स (18,000-56900 रु.) के स्तर -1 में नियमित सवार हरकारा (समूह ग) और समूह 'ग' में से ऐसे व्यक्ति जो चालन मोटर कार के लिए	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-** (1) कार्यालय प्रमुख, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - अध्यक्ष ; (2) प्रशासनिक अधिकारी, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य; (3) निजी सचिव- मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य ।	लागू नहीं होता।

क्षमता निर्धारण हेतु चालन परीक्षण के आधार पर मोटर के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखते हो जिसके ना हो सकने पर जो केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रु.)के स्तर में नियमित आधार पर सवार हरकारा का पद या समूह 'क' कर्मचारी पदधारी हो जो स्तंभ (7) में यथाविहित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हो । 2. सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों के संबंध में जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं और अपेक्षित अनुभव और अर्हताएं हैं में भी विचार किया जाएगा, ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के पे बन्ध को देख रखा जाएगा जिस तारीख से पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाध्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्षो से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण:-2.** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

[फा.सं. डीएफएसएस/38(2)/2015]

नरेंद्र कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE SERVICES)

New Delhi, the 2nd March, 2020

G.S.R. 45.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Bureau of Police Research and Development (Staff Car Driver) Recruitment Rules, 1973, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Driver (Grade I), Staff Car Driver (Grade II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade) (Group 'C', Non-Gazetted Posts) in the Ministry of Home Affairs, Directorate of Forensic Science Services, namely:-

1. **Short title and commencement.—**

(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate of Forensic Science Services Staff Car Driver (Grade I), Staff Car Driver (Grade II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade) (Group 'C', Non-Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**— The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age -limit, qualification etc, .**— The method of recruitment, age -limit, qualifications and other matter relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Staff Car Driver Grade I	03*(2020) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non Ministerial.	Level 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300.)	Non-Selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver Grade II in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver Grade II and Staff Car Driver (Ordinary Grade) and have passed the trade test, specified by the Government.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** (1) Head of Office, Directorate of Forensic Science Services – Chairman; (2) Administrative Officer, Directorate Forensic Science Services – Member; (3) Private Secretary to Chief Forensic Scientist, Directorate of Forensic Science Services – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Staff Car Driver Grade II	02*(2019) *subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100.)	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in level 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with nine years' of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** (1) Head of Office, Directorate of Forensic Science Services – Chairman; (2) Administrative Officer, Directorate of Forensic Science Services – Member (3) Private Secretary to Chief Forensic Scientist, Directorate of Forensic Science Services – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	02*(2019) *subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non Ministerial	Level 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200.)	Not applicable

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining age-limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	**Essential:** (i) possession of a valid driving license for driving motor cars; (ii) knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (iii) experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) pass in 10^{th} standard from a recognised Board. **Desirable:** Three years' service as Home Guard or Civil Volunteer. **Note:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority. In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years	1. Deputation or absorption failing which by direct recruitment. 2. For Armed Forces **Personnel:** Deputation or re-employment.

(11)	(12)	(13)
1. Deputation or Absorption: From amongst the regular Dispatch Rider (Group 'C') and Group C employees in level-1 in pay matrix (Rs. 18000-56900) in the Directorate of Forensic Science Services and its units who possess valid driving license for motor car on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor car failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group C employees in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7). 2. Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel:	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** (1) Head of Office, Directorate of Forensic Science Services – Chairman; (2) Administrative Officer, Directorate of Forensic Science Services – Member; (3) Private Secretary to Chief Forensic Scientist, Directorate of Forensic Science Services – Member.	Not applicable.

The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered and such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisations or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. DFSS/38(2)/2015]

NARENDER KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2020

I k-dk-fu- 46.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद (हिन्दी अनुदेशक) भर्ती नियम, 2002 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में हिन्दी अनुदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. I f{klr uke vkSj i kjHk

   (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद हिन्दी अनुदेशक भर्ती नियम, 2020 है।

   (ii) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. in l a[; k] oxhZdj.k] osru eSfVDl esa Lrj.—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. Hkrh dh i) fr] vk; q&l hek vkSj vgZrk, a vkfn.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. fujgZrk.—वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. f'kfFky djus dh 'kfDr .—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह कारण को लेखबद्ध कर तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. 0; kofRr .— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।